# कार्यालयः: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2024 / 1779 लखनऊ दिनांक 30 अगस्त,2024

## यू0पी0नीट यू0जी0 2024 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 हेतु जारी शासनादेश / ब्रोशर / अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट ***www.dgme.up.gov.in*** एवं ***https:upneet.gov.in*** पर उपलब्ध हैं, जिसमें निहित व्यवस्थाओं के आलोक में प्रवेश प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

2. राजकीय / निजी क्षेत्र मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो के आवंटन–पत्र पर प्रवेश हेतु कालेज / नोडल सेन्टर के नाम अंकित है।

3. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया आवंटित राजकीय / स्वशासी मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्ण की जायेगी। आवंटन पत्र पर आवंटित मेडिकल / डेण्टल कालेज का नाम अंकित होगा।

4. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।

5. प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में जमा किया जाना अनिवार्य है:–
   - यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 का आवंटन पत्र
   - नीट यू0जी0 2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
   - हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र
   - आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - डोमिसाइल प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - पहचान पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)

6. **उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (*EWS*) अन्य पिछड़ा वर्ग (*OBC*) का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।**

7. ***निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।***

8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

9. शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट https:upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

10. **रिट याचिका संख्या–6828 / 2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साइन्सेज कालेज वेलफेयर एसोसियएशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2024 के क्रम में** निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों की शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु ***निर्धारित शिक्षण शुल्क सत्र 2024–25 में प्रवेश के समय*** Provisional ***रूप से देय होगा। संबंधित शासनादेश संख्या– I / 360946 / 2023 दिनांक***

*02.8.2023 विभागीय वेबसाइट https:upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।(छायाप्रति संलग्न)*

तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3/2024/1667 दिनांक 17.8.2024 *(छायाप्रति संलग्न)* के द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल/डेन्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। अतएव मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल/डेण्टल कालेजो के शैक्षणिक सत्र 2024–25 का शुल्क शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले अन्तिम आदेशो के अधीन होगा।

11. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जायेगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरांवटन (***Reshuffle***) हेतु इच्छुक है, वह कालेज की सिक्योरिटी, हास्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित कालेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करेगें।

12. यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की ऑन लाइन काउन्सिलिंग से राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजो की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रो की **प्रवेश प्रकिया दिनांक 31 अगस्त 2024 से 05 सितम्बर 2024** के मध्य पूर्ण की जायेगी।

13. अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट ***www.dgme.up.gov.in*** एवं ***https:upneet.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र00 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों मे संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/683 दिनांक-20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या-I/120293/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120291/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120294/2021 /71-4099/34/2021(पार्ट-2) दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम तथा शासनादेश संख्या-I/109712 /2021/71-4099/34/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र वर्ष-2021-2022 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) एवं परास्नातक स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र-2023-2024 हेतु यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र2023-24 में निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले नये मेडिकल कालेज (एस0के0एस0 मेडिकल कालेज, मथुरा) एवं परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी संस्थानों (कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा व यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज) का शुल्क वर्ष 2021-22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by आलोक कुमार
Date: 02-08-2023 16:22:11
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमंण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/डीम्ड विश्वविद्यालय, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
2021 लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर,

विषयः- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र एम0ई0-3/2021/2384, दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय य

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी, परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय। यद्यपि वास्तविक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। तद्नुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

iv. जहॉ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

v. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना

औचित्यपूर्ण पाया गया।

vi. नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर में प्रथम बार एम 0 बी0 बी0 एस 0 में प्रवेश लिये जाने के कारण प्रथम बार शुल्क का निर्धारण किया जाना है। चूंकि इस कालेज में वर्ष-2019-2020 की बैलेंस सीट उपलब्ध नहीं हो सकती अतः इस कालेज का शुल्क औसत के आधार पर निर्धारित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

vii. समिति द्वारा पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों के संदर्भ में नीट परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों द्वारा कालेजवार प्राप्त औसत अंको का भी संज्ञान लिया गया है। कालेजवार प्राप्त औसत अंकों को ***Standardise*** किया गया है।

viii. इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा बैलेंस सीट में दी गयी विभिन्न सूचनाओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अनुमन्यता से अधिक खर्च यथा वेतन मद में अधिक वृद्धि बैलेंस सीट में अधिक ब्याज, अवमूल्यन आदि अमान्य खर्चों को disallow करते हुए बैलेंस सीट को वेटेज प्रदान किया गया। शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0, दिनांक 06.11.2020 द्वारा निर्धारित फीस तथा अमान्य खर्चो को disallow करने के पश्चात् बैलेंस सीट के आधार पर फीस का आगणन करते हुए दोनों के शुल्क में आ रहे अन्तर को भी ***Standardise*** किया गया है। कालेजवार ***Standardise*** औसत नीट स्कोर एवं ऊपर उल्लिखित ***Standardise*** शुल्क के अन्तर को जोड़कर कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर निकाला गया है। कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर के आधार पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले कालेजों के बीच 8 प्रतिशत, जो अधिकतम है, को स्टेटिस्टिकल नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आवंटित किया गया है।

ix. कालेजों में सभी प्रकार की सुविधाओं के उन्नयन एवं उच्चकोटि की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से ***Quality Council Of India*** द्वारा प्रदान किये जाने वाले ***NABH (National Accreditation Board For Hospitals & Healthcare Providers)*** प्रमाण पत्र धारक कालेजों को, निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में 01 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त लाभ दिये जाने का विनिश्चय किया गया।

x. बिन्दु-(viii) एवं (ix) के आधार पर कालेजवार प्राप्त हो रहे प्रतिशत के अनुरूप शुल्क की वृद्धि किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कालेजों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्थाओं का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों

द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एम0बी0बी0एस0 हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र.सं | संस्था का नाम | निर्धारित शुल्क धनराशि रूपए) (में |
|---|---|---|
| 1 | श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बरेली। | 13,73,760 |
| 2 | स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा। | 12,69,319 |
| 3 | सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ। | 11,85,133 |
| 4 | हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी। | 11,70,612 |
| 5 | मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर। | 12,80,037 |
| 6 | सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, हापुड़। | 11,81,671 |
| 7 | रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली | 13,00,251 |
| 8 | हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, वाराणसी। | 13,21,492 |
| 9 | रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर। | 12,66,579 |
| 10 | हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, सीतापुर। | 10,77,229 |
| 11 | मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी। | 11,21,162 |
| 12 | के0डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा। | 12,28,240 |
| 13 | राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली। | 12,28,406 |
| 14 | रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़ | 13,09,968 |
| 15 | प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ। | 11,03,932 |
| 16 | टी0एस0मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ। | 12,99,199 |
| 17 | नोएडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, गौतमबुद्धनगर। | 11,92,211 |
| 18 | जी0एस0मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़। | 11,78,892 |
| 19 | सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव। | 11,59,610 |
| 20 | यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, प्रयागराज। | 11,90,401 |
| 21 | नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मेरठ। (एम0एस0वाई0मेडिकल कालेज, मेरठ) | 12,19,917 |
| 22 | कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा। | 11,73,856 |
| 23 | वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर। | 12,10,000 |
| 24 | श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़,गजरौला, अमरोहा। | 11,10,508 |
| 25 | नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर | 12,14,683 |

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क के अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. <u>छात्रावास शुल्क-</u>

| | | |
|---|---|---|
| (ए) नॉन ए0 सी0 | - | रू0 1,50,000 प्रतिवर्ष। |
| (बी) ए0 सी0 | - | रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष। |

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. <u>सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-</u>

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 3,00,000 (एक बार)।

3. <u>विविध शुल्क-</u> रू0 85,600 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:11:33
Reason: Approved

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चैराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2021/1712 दिनांक 11-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/71-4-2020-37/2015 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में फीस नियतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान है:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा

प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आहूत बैठक दिनांक 21.08.2021 में निजी क्षेत्र के सभी डेण्टल कालेजों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संस्था के प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण के सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित मानदण्डों तथा निम्नलिखित आधारों का संज्ञान लिया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेण्टल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। तदनुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के

आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

iv. जहॉ UG & PG दोनों Courses संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए, हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

v. समिति द्वारा विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मॅहगाई के दृष्टिगत होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढॉचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 01 वर्ष का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण किया जाय।

vi. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटिक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण माना।

vii. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

viii. रामा डेण्टल कालेज, कानपुर में मुद्रा स्फीति की दर से फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

ix. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

x. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयड़ा में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयडा हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

xi. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया

जाना उचित पाया गया।

6- संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श, उ0 प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित मानदण्डों, प्रस्तर-5 में उल्लिखित आधार तथा फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित डेन्टल कालेजों के स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए उनके सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रं/सं | संस्था का नाम | निर्धारित शुल्क (रू0 में) |
|---|---|---|
| 1 | सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ। | 3,42,000/- |
| 2 | आई 0 डी0 एस 0 डेण्टल कालेज, बरेली। | 2,93,000/- |
| 3 | श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद। | 3,60,000/- |
| 4 | कालका डेण्टल कालेज, मेरठ | 2,93,000/- |
| 5 | चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी | 2,93,000/- |
| 6 | डेण्टल कालेज, आजमगढ़ | 2,93,000/- |
| 7 | पूर्वान्चल डेण्टल कालेज, गोरखपुर | 2,93,000/- |
| 8 | के0 डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा | 3,28,000/- |
| 9 | इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गजियाबाद | 3,13,000/- |
| 10 | रामा डेण्टल कालेज, कानपुर | 3,13,000/- |
| 11 | आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा। | 3,65,000/- |
| 12 | आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज, गाजियाबाद। | 3,84,000/- |
| 13 | सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ | 3,13,500/- |
| 14 | स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा। | 3,65,000/- |
| 15 | बी0 बी0 डी0 डेण्टल कालेज, लखनऊ | 3,48,000/- |
| 16 | कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद। | 3,65,000/- |
| 17 | महाराना प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर | 3,21,000/- |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | आई 0 डी0 एस 0 टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गजियाबाद। | 3,38,000/- |
| 19 | सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ | 2,93,000/- |

7- स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु हास्टल शुल्क, सिक्योरिटी डिपोजिट एवं विविध शुल्क के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0 दिनांक 06-11-2020 की व्यवस्था यथावत रहेगी।

उक्त व्यवस्था निम्नवत है:-

**1- छात्रावास शुल्क-**

(ए) नॉन ए 0 सी0 - रू0 0.85 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए 0 सी0 - रू0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक होगा तथा वेरायटी को होगा।

**2- सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-**

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 3.00 लाख (एक बार)।

**3- विविध शुल्क- रू0 0.40 लाख प्रतिवर्ष।**

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित हैं।उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वाराकोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एक- मुश्त अग्रिम के रूप में जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्त प्रस्तर-6 एवं 7 में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:13:5
Reason: Approved

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्य एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3/2024/1667 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2024

## ::अति महत्वपूर्ण सूचना::

यू0पी0 नीट काउंसिलिंग 2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका सी संख्याः 6828/2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साईंसेस कालेज वेलफेयर एसोसिएशन व 17 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.08.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके प्रासंगिक अंश निम्नवत हैः–

56 d. At the time of counselling the students will be informed about the fees determined for academic session 2023-24, which would be the provisional fee subject to the final fee determined by the Committee.

e. Upon enhancement, the arrears would be payable by the students in instalments (half yearly/quarterly) depending upon the hike recommended by the Committee, which shall also determine the number of instalments to be paid by the students.

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

**संलग्नक–शुल्क संबंधी शासनादेश दिनांक 02.08.2023।**

अपर निदेशक